न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./84/2022/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. प्रभूराम पुत्र सवाराम 2. गीगी पुत्री सवाराम 3. हुगली पुत्री सवाराम, जातियान मेघवाल, निवासीयान बालोतरा, तह. पचपदरा, जिला बालोतरा।	1. सरदाराराम पुत्र सवाराम के का. मु.– 1/1. रामाराम पुत्र सरदाराराम 1/2. गोरखाराम पुत्र सरदाराराम 1/3. बाबुराम पुत्र सरदाराराम 1/4. सुआदेवी बेवा सरदाराराम 2. भारताराम पुत्र फुसाराम, जाति भील, निवासी रामसीन, तह. पचपदरा, जिला बालोतरा। 3. सूजाराम पुत्र सोनाराम, जाति भील, निवासी कुड़ी, 4. गणेशाराम पुत्र नैनाराम, जाति भील, निवासी घड़सी का बाड़ा 5. बंशीलाल पुत्र पूनमाराम, जाति भील, निवासी कुड़ी 6. बबरी पुत्र सूजाराज, जाति भील, निवासी कुड़ी 7. मांगीलाल पुत्र बुधाराम, जाति भील, निवासी कुड़ी 8. अणसी पत्नी बलवंताराम, जाति भील, निवासी पचपदरा 9. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम, जाति पालीवाल, निवासी कुड़ी। 10. मांगीलाल पुत्र सोनाराम, जाति विश्नोई, निवासी भीमकमकौर, तह. ओसिया, जिला जोधपुर। 11. श्रीमती सुमित्रा पत्नी रणवीर, कौम विश्नोई, निवासी कुड़ी। 12. श्रीराम पुत्र कानाराम, जाति पालीवाल, निवासी कुड़ी 13. श्रीमती सोहनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश, जाति पालीवाल, निवासी कुड़ी 14. बलवंताराम पुत्र जवाराराम, जाति भील, निवासी पचपदरा 15. श्रीराम पुत्र भीयाराम, कौम विश्नोई, निवासी रेवाड़ा आशिया 16. श्रीमती वीरोदेवी पत्नी उकाराम कौम भील, निवासी रेवाड़ा आशिया 17. थानाराम पुत्र मांगीलाल, जाति भील निवासी जीरों फाटक के पास, बालोतरा। 18. राज. राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व वाद संख्या 86/1992 बउनवान सरदाराराम बनाम तेजी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.1992 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री रूघाराम कड़वासरा अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री चेलाराम उतरदाता संख्या 3, 4, 6 से 9, 11, 12 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—26.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पूर्वज सरदाराराम व नैनूदेवी पत्नी सवाराम व रेस्पों. संख्या 2 भारताराम/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा रामसीन के खसरा संख्या 510 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 511 रकबा 03 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 512 रक़बा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि आयी हुई है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट मूल खसरा संख्या 550 था, उसके बाद द्वितीय सेटलमेंट किया गया जिसमें मूल खसरा के 03 बटे किये गए जो वर्तमान के उपर्युक्तानुसार खसरा संख्या 510, 511 व 512 हैं। अपीलांट स्व. कोजाराम के पौत्र—पौत्री हैं। उक्त आराजी के संबंध में रेस्पों. द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद दायर कर गलत रूप से तथ्य पेश करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। उपर्युक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में बिना तनकीयात कायम किये व बिना अपीलांट को सुने ही वादी/रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के पूर्वज सरदाराराम व नैनूदेवी पत्नी सवाराम व रेस्पों. संख्या 2 भारताराम/वादी ने

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा रामसीन के खसरा संख्या 510 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 511 रकबा 03 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 512 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि आयी हुई है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट मूल खसरा संख्या 550 था, उसके बाद द्वितीय सेटलमेंट किया गया जिसमें मूल खसरा के 03 बटे किये गए जो वर्तमान के उपर्युक्तानुसार खसरा संख्या 510, 511 व 512 है। अपीलांट स्व. कोजाराम के पौत्र–पौत्री हैं। प्रस्तुत वंशावली अनुसार स्व. कोजाराम के स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र सविया के नाम से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किया गया। सविया का स्वर्गवास होने के बाद में अपीलांट व अपीलांट की माता स्व. हेमीदेवी के नाम से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किया गया। अपीलांट जाति के मेघवाल हैं जो हिन्दू रिति–रिवाज को मानने वाले व्यक्ति हैं। हिन्दू उत्तराधिकार के तहत हक–हिस्सा पाने के पूर्ण अधिकारी है। ज़बकि वादी/रेस्पों. द्वारा हस्तगत प्रकरण के वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 510 व खसरा सख्या 511 को अपना पैतृक बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद दायर किया। जबकि वादी/रेस्पों. का कभी भी हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है और ना ही कभी कोई राजस्व रेकार्ड रहा है। खसरा संख्या 512 के बट्टा में खसरा संख्या 510 व 511 कभी नहीं रहा है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पूर्वजों से लेकर आज दिनांक तक लगातार अपीलांट का ही कब्जा–काश्त रहा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों का ज्ञान किये बिना ही वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए बिना कोई स्टांप ड्यूटी लिये ही अपीलाधीन आदेश द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वादपत्र में प्रतिवादी/अपीलांट को नोटिस तामील करवाया गया। जिस पर प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये थे। मगर अपीलांटगण/प्रतिवादीगण अनपढ़ होने से इनके अंगुष्ठों के निशान करवाकर वादीगण द्वारा राजीनामा पेश करवा दिया गया। जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर खातेदारी अधिकार वादीगण को प्रदान कर दिये गये। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि खातेदारी भूमि का बिना रजिस्ट्रेशन के किसी अन्य के नाम पंजीयन हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तत्समय अपीलांट संख्या 1 प्रभूराम नाबालिग था। छोटी उम्र में ही अपीलांट संख्या 1 के पिता का देहान्त हो गया था। विधि अनुसार किसी नाबालिग के हक–हिस्से को किसी भी प्रकार के राजीनामा के जरिये हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक बिन्दु का घोर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उलंघन किया गया है। अपीलांट संख्या 1 प्रभूराम का नावालिग रहते हुए अपीलांट के पैतृक हक–हिस्से के खातेदारी अधिकार को किसी अन्य को हस्तांतरित कर दिया गया है। अपीलांट/प्रतिवादीगण मेघवाल जाति अर्थात एस.सी. वर्ग एवं वादीगण/रेस्पों. भील जाति अर्थात एस.टी. वर्ग से आते उक्त के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत किसी एस.सी. के खातेदारी कृषि आराजी को एस.टी. को हस्तांतरित/खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। क्योंकि एस.सी. वर्ग का व्यक्ति अपनी खातेदारी कृषि आराजी का एस.सी. वर्ग के व्यक्ति को ही जरिये घोषणा पत्र या बक्शीशनामा या जरिये पंजीयन के हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। जबकि अपीलाधीन आदेश में उक्त विधि के विहित रीति के विरूद्ध जाकर अपीलांटगण जाति मेघवाल एस.सी. की आराजी को जरिये घोषणा व राजीनामा के वादीगण जाति भील एस.टी. के नाम से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर दिया जो कानूनन दृष्टि से अवैध है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावें। वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1- RRT 2004(1)576
2- RRT 2017(1)117
3- RRT 2006(2)1246
4- RRT 2001(1)77
5- DNJ(Rev.) 2021(1)633
6- DNJ(Rev.) 1999. Page no. 761
7- RRT 2016-17(Sup)158
8- RRT 2018(2)1341

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा सख्या 512 पर वादीगण/रेस्पों. का लगातार कब्जा–काश्त रहा है। वादीगण/रेस्पों. संवत् 2012 से पूर्व जागीर के वक्त से संवत् 2030 तक संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है। सवाराम बड़ा होने से संयुक्त परिवार का मुखिया रहा है। सवाराम के नाम उक्त पुराने खसरा सख्या 512 रेकार्डेड खातेदार के रूप में आया हुआ है। सेटलमेंट के वक्त राजस्व कर्मचारियों की गलती से नये खसरा संख्या 511 व 510 में दर्ज हो गया। उक्तानुसार वर्तमान खसरा संख्या 511 व 510 मूल रूप से पुराने खसरा संख्या 512 से बना है। मूल रूप से खसरा संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

512 वादी के नाम से रहा है। वादी स्वयं की पैतृक खातेदारी की आराजी जो खालसा के गांव का सेटलमेंट हुआ तब सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से प्रतिवादीगण के नाम कर दी को जरिये घोषणा के वाद के पुनः वादी के नाम जरिये राजीनामा की गई है। जिसका वादी को पूर्ण विधिक अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता फौत हो चुके हैं। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा अपने जीवन काल में कभी भी किसी प्रकार का हस्तगत आराजी के बारे में कोई उज्र–ऐतराज नहीं किया गया। जबकि हस्तगत प्रकरण की प्रश्नगत वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा संख्या 512 पर वादीगण का ही कब्जा–काश्त रहा है। अब प्रतिवादीगण अपीलांट के पिता सवाराम की फौत वादीगण की जमीन हड़पने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई है। जहां तक एस.सी. की जमीन को एस. टी. के नाम हस्तांतरण करने का प्रश्न है तो वहां पर वादी/अपीलांट का यह तर्क है कि हस्तगत प्रकरण की आराजी वादीगण के पूर्वजों के नाम की ही रही है। जिस बाबत् जमांबंदी की नकल संवत् 2019 से 2022 की पेश की गई जिससे यह साबित होता है कि वादीगण के पिता सवा पिता फुसा, भील के नाम से खातेदारी रही है। उक्त कथन को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण व प्रतिवादीगण का जरिये राजीनामा वादी के पूर्ण वाद को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। एवं राजीनामे में बताया है कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा–काश्त है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा–काश्त नहीं है और न ही रहा है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट के सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से प्रतिवदीगण के नाम दर्ज कर दी गई थी जिसे दुरूस्त करते हुए पुनः वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाता है तो प्रतिवदीगण को कोई ऐतराज नहीं है। इस बाबत् राजीनामा पेश कर बाद तस्दीक एवं प्रतिवादीगण की पहचान कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। और ना ही एस.सी. वर्ग की आराजी को एस.टी. के नाम हस्तांतरण करने का कोई विधिक बिन्दु उत्पन्न होता है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया हैं। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के पक्ष की बिना किसी जांच पड़ताल किए एवं बिना किसी ठोस आधार व अपीलांट के साक्ष्य व जवाब लिये बिना ही विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही पारित किया गया है। ऐसे तथ्यों की कोई भी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जानकारी अपीलांट को नहीं थी। क्योंकि अपीलांट/प्रतिवादी के कब्जे काश्त में रेस्पो./वादी द्वारा न तो दखल किया गया और न ही कभी मौके पर आए। इस कारण से अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को ज्ञान ही नहीं हुआ। अपीलांट को बिना सुने, बिना ज्ञान के ही तथ्यों को छुपाते हुए आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकलें दिनांक 11.05.2022 को प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है। तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बाद वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। बाद राजीनामा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इसके बाद अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं होने के संबंध में प्रश्न करने का कोई सार नहीं रह जाता है। अपीलांट की नियत में बदलाव आने के बाद हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के संबंध में लम्बी अवधि बाद हस्तगत अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा लम्बी अवधि का कोई सद्भाविक कारण नहीं बताया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण की जानकारी अपीलांट को थी। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि भूमि राजस्व रिकार्ड में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज है और दावा करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जन जाति के हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 की धारा 42 (ख) अनुसूचित जाति के काश्तकारों के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हकों की सुरक्षा करती है। धारा 42 (ख) के अनुसार वह व्यवहार/हस्तांतरण शून्य होगा, यदि कोई विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। 'बालू बनाम बिरदा, 1983 आर.आर.डी. 159' में यह प्रतिपादित किया गया है कि ''हस्तातंरण शब्द का अर्थ विस्तृत है, राजीनामे की डिक्री को भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के तहत हस्तातंरण ही माना जायेगा।'' स्टेट बनाम केसर बाई 1980 आर.आर.डी 252 में भी प्रतिपादित किया गया है कि ''यदि किसी अनुसूचित जाति अथवा जन जाति की भूमि का सवर्ण के हित में अन्तरण कर दिया और कब्जा भी दे दिया तो राजस्व न्यायालय ऐसे अन्तरण को मान्यता नहीं देगा। काश्त और कब्जा मूल खातेदार का माना जायेगा।'' हस्तगत प्रकरण में मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 86/1992 बउनवान सरदाराराम बनाम तेजी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.1992 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों की उपस्थिति में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

18/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर